राजस्व अपील संख्या : 25/2025
उनवान : कमलेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 25/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/119

अपीलाण्ट्स :–

1. कमलेश पुत्र गंगाराम
2. राकेश पुत्र गंगाराम
3. गंगाराम पुत्र हिम्मताजी तमाम जाति माली निवासी सादडी तहसील कोट बालियान तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 396/2024 सरकार जरिये पटवारी हल्का कोटबालियान बनाम कमलेश वगैरा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत व भूपेश परिहार।
   रेस्पोडेण्ट स्वयं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 03.09.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **न्यायालय नायब तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 396/2024 सरकार जरिये पटवारी हल्का कोटबालियान बनाम कमलेश वगैरा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के विरुद्ध पेश की गई।** अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का कोटबालियान के द्वारा रेस्पोडेण्ट के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलार्थीगण/गैर सायल द्वारा मौजा कोटबालियान के खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाला की सरकार भूमि पर सम्वत् 2080 रबी में अनाधिकृत बाड कर सोलर पैनल लगाकर रुम बनाकर पक्का निर्माण कर बोरवेल कर कब्जा/काश्त किया है। यह भी कि पटवार हल्का कोटबालियान की उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थीगण/गैर सायल के विरुद्ध 91 एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीर्थीगण/गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया कि दिनांक 17.05.2024 को रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थीगण/गैर सायल को बिना सुने अनुपस्थिति में पटवारी हल्का कोटबालियान की रिपोर्ट के आधार पर सम्वत्

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2025
उनवान : कमलेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2080 रबी में मौजा कोटबालियान के खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाला की सरकारी भूमि पर रकबा 0.0500 हैक्टेयर बाबत अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया व साथ हर भूमि के वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा 50 रुपये जुर्माना आरोपित किया गया।

यह कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है क्योंकि अपीलार्थीगण की पीठ पीछे आदेश दिनांक 17.05.2024 को पारित किया गया है।

यह कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.02.2024 के अनुसार ग्राम कोटबालियान के खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाला की सरकारी भूमि पर रकबा 0.0500 हैक्टेयर बाबत ही अपीलार्थीगण अतिक्रमी है इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में खसरा नम्बर 1013 विवादित नही है। जिससे भी उक्त अपील काबिल स्वीकृत है।

यह कि पटवारी हल्का कोटबालियान के मौका फर्द दिनांक 13.02.2024 के अनुसार "मौके पर मुण्डारा ग्राम की सीमा से लगती हुई सीमा से उक्त खसरे की पैमाईश की गयी जिसमें खसरा नम्बर 1013 से सटी माठ पर अतिक्रमण पाया गया। उक्त खसरे में ट्यूबवेल खुदी हुई है।" इससे स्पष्ट है कि ट्यूबवेल कई वर्षों पुराना खुदा हुआ है जो खसरा नम्बर 1013 की माठ पर स्थित है।

यह कि रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में बनायी गयी मौका फर्द में बोरवेल की वस्तुस्थिति खसरा संख्या 1002 व 1013 के माठ पर होना बताया है जो बोरवेल आज नहीं बना है बल्कि कई वर्षों पुराना खुदा हुआ है जो खसरा नम्बर 1013 की माठ पर स्थित है जो अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि की माठ है जो पुराने समय से माठ की सीमा के रुप में धोरे लगाये जाते थे जो धोरे नाप मे 5 से 6 फीट चौड़ाई में लगे होते थे जिससे पूर्व खातेदारों द्वारा उक्त माठ में उपज लेने हेतु बोरवले करवाया हुआ है जिसे बोरवेल से अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1013 के साथ अन्य कृषि भूमि में सिचाई कर उपज लेता है।

यह कि जैर अपील आलोच्य दिनांक 17.05.2024 की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 04.06.2024 को हुई है। जिससे अपीलार्थी को जानकारी होते ही अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत है अपील के संबंध धारा 05 परिसीमा अधिनियम को आवेदन सलंग्न है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया और बहस सुनने का निश्चय किया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण में प्रार्थी/गैर सायल को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलाधीन बेदखली आदेश पारित किया है, जो संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को प्रेषित सम्मन की सम्यक् तामीली न होने में उपरान्त भी आलोच्य आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। यह भी, कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 13.02.2024 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1013 से सटी माठ पर प्रश्नगत निर्माण ट्यूबवेल आदि स्थित है,किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में सीमांकन अथवा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2025
उनवान : कमलेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उतरोतर जाँच करवाए बिना ही आपाधापी में आलोच्य निर्णय विरुद्ध प्रार्थीगण पारित किया गया, जो सम्पूर्ण कार्यवाही ही निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि गैर सायल/प्रार्थी द्वारा प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि गैर मुमकिन वाला पर अतिक्रमण किया है, जिससे कोई अधिकार सृजित नहीं होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाकर बेदखली आदेश पारित किए है। अतः हस्तगत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा अपील मीमों एवं मूल रिकॉर्ड प्रकरण संख्या 396/2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के सलंग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में अंकित तथ्यों का रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रतिकार नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानते हुए प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाता है एवं देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 396/2024 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त बेदखली आदेश दिनांक 17.05.2024 को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि अपीलार्थी/गैर सायल को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

प्रकरण का मज़मून यह है कि हल्का पटवारी कोटबालियान द्वारा तहसीलदार बाली को एक रिपोर्ट मय मौका फ़र्द दिनांक 13.02.2024 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम कोटबालियान के खसरा संख्या 1002 गै.मु.वाला में 0.05 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर न्यायालय नायब तहसीलदार बाली में दिनांक 22.02.2024 को प्रकरण संख्या 396/2024 दर्ज किया गया, जिसे दिनांक 17.05.2024 को गैर सायल/अपीलार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली आदेश पारित किए गए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 396/2024 में सलंग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा गैर सायलान को तलब करने हेतु दिनांक 20.03.2024 एवं पुनः दिनांक 08.04.2024 को सम्मन प्रेषित किए गए। दिनांक 08.04.2024 को प्रेषित सम्मन की पुष्ट पर उल्लेखित विवरण अनुसार सम्मन किसी दिनेश पुत्र गुलाबराम माली द्वारा प्राप्त किया जाना तथा उसके द्वारा गैर सायलान को बता दिया जाना स्पष्ट रुप से अंकित है। उक्त विवरण की पुष्टि में सम्मन प्राप्तकर्ता तथा तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर भी अंकित है, अर्थात् यह तो प्रमाणित है कि गैर सायलान् को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण संख्या 396/2024 में प्रेषित सम्मन की सूचना तत्समय ही प्राप्त हो गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि मूल पत्रावली प्रकरण संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2025
उनवान : कमलेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

396/2024 में सलंग्न मौका फर्द दिनांक 13.02.2024 में भी हल्का पटवारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि ".....मौके पर खसरा नम्बर 1006 से 1015 के सहखातेदार कमलेश से मोबाईल पर सम्पर्क किया तो उसने अपने को बाहर होना बताया। पूछने पर ट्युबवेल खोदने एवं सोलर पैनल लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली है।....."

इससे यह स्पष्ट है कि उक्त श्री कमलेश अर्थात् अपीलार्थी को दिनांक 13.02.2024 से ही प्रस्तावित होने वाली कार्यवाही की सूचना थी किन्तु इसके उपरान्त भी गैर सायलान/ अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई।

अपीलाण्ट का यह तर्क भी संधारणीय नही है कि आलोच्य भू भाग पर ट्यूबवेल व निर्माण नया नहीं होकर काफी वर्ष पुराना है, क्यों कि अतिक्रमित भूमि खसरा संख्या 1002 गै.मु. वाला किस्म अर्थात् वहाव क्षेत्र की भूमि है जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 'अब्दुल रहमान प्रकरण' में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि में शुमार माना गया है तथा जिस पर अतिचार से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार सृजित नही होते है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर न्यायालय का यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 396/2024 में प्रदत्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2024 में कोई हस्तक्षेप वाँछनीय नहीं है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner